


तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रहलाद सिंह बनाम सवाई सिंह 431/17 (आरसीएमएस नं. 2017/00401)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
23.09.19	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट अनुपस्थित तथा अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट उपस्थित उनकी बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर होता है कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 सवाई सिंह की मृत्यु हो चुकी है जिसके कायम मुकामान प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 18.09.2019 को आदेश दिये गये हैं किन्तु अपीलान्ट की ओर से अभी तक रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 के कायम मुकामान प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट न्यायालय हाजा के आदेशों की पालना नहीं किये जाने पर खारिज योग्य प्रतीत होती है।</p> <p>अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">  (के०सी०वर्मा) संभागीय आयुक्त जयपुर </p>	